नागरिक/ग्राहक घोषणा पत्र

भारतीय जन संचार संस्थान

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्त संस्थान

जे. एन. यू., न्यू कैम्पस, अरूणा आसफ अली मार्ग

नई दिल्ली - 110067

वेबसाईट - www.iimc.gov.in

अगस्त 2012

दर्शन

"मानव विकास, सशक्तिकरण और बहुलवादी सर्वव्यापक मूल्यों और आचार शास्त्र सम्पन्न सहभागी जनतंत्र में सहयोग देते हुए एक ज्ञान संचालित सूचना समाज के निर्माण के लिए, विशिष्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, भारतीय जन संचार संस्थान माध्यम शिक्षा, शोध, विस्तार एवं प्रशिक्षण के लिए सार्वभौमिक स्तर निर्धारित करेगा"।

लक्ष्य

संस्थान का लक्ष्य एक गत्यात्मक मूल ज्ञान और कार्य वातावरण सृजित करना है जिसमें बौद्धिक उत्कृष्टता को पोषण मिलता हो और नवीन विचार और रचनात्मकता फलते फूलते हैं। जिसमें शोध और छात्रवृत्ति और स्नातक प्रकट होते हैं जिनमें मीडिया और जनसंचार के क्षेत्र में, इन शब्दों के व्यापक अभिप्राय में, नेता और प्रवर्तक बनने की योग्यता होती है।

सेवा स्तर

क्रम संख्या	प्रमुख सेवाएं	स्तर
1.	भारतीय सूचना सेवा के समूह “क’ और “ख’ के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	भारतीय सूचना सेवा के सीधी भर्ती वाले अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम।
२.	एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम • पत्रकारिता अंग्रेजी, हिन्दी एवं उडिया में • विज्ञापन एवं जनसंपर्क में • रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में	डिप्लोमा प्रदान करना।
3.	विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित आइटेक, स्काप एवं कोलम्बो योजना के अंतर्गत 4 महीने का विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	विदेशों के श्रमजीवी पत्रकारों को डिप्लोमा प्रदान करना।
4.	मीडिया एककों, केन्द्र और राज्य सरकार के संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, कारपोरेट क्षेत्र राष्ट्रीय संयुक्त संगठनों इत्यादि के मध्यम दर्जे और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नौकरी के दौरान अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रमाणपत्र प्रदान करना।
5.	शोध एवं परामर्श	महत्वपूर्ण मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर शोध रिपोर्टें उपलब्ध कराना।

शिकायत निवारण रचनातंत्र

क. जन शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण:

- नाम - जयदीप भटनागर
- पदनाम - विशेष कार्य अधिकारी
- कार्यालय पता - भारतीय जन संचार संस्थान
  अरूणा आसफ अली मार्ग
  जे एन यू, नया परिसर
  नई दिल्ली - 110067
- दूरभाष संख्या - 26741450, 26741268
- फैक्स संख्या - 26741268
- ई मेल **-** **jaideepbhatnagar@hotmail.com**

ख. हेल्पलाइन नंबर/शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाईट

- दूरभाष संख्या - 26742940, 26742960, 26741987, 26741916, 26742239, 26741522, 26741537, 26742920
- वेबसाईट : **www.iimc.gov.in**

ग. शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया की संभावित अवधि :-

एक महीने के भीतर

घ. शिकायत दूर करने की समय सीमा:- **तीन महीने के भीतर**

पणधारी/ग्राहक

पणधारी

- आई आई एम सी की सोसाइटी की आम सभा और कार्यकारी परिषद
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय

ग्राहक

- नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थी;
- भारतीय सूचना सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी जो प्रशिक्षण के लिए प्रति नियुक्त है।
- विकास पत्रकारिता पाठ्यक्रम और पत्रकारिता कौशलों में प्रशिक्षण पाने वाले विकासशील देशों के श्रमजीवी पत्रकार और सूचना कर्मचारी।
- विभिन्न केन्द्र, राज्य सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए विविध मीडिया संबंधित संगठनों के कार्मिक।
- संस्थान के द्वारा आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भाग लेने आये आमंत्रित अतिथि/विशेषज्ञ।
- संस्थान के नियमित कर्मचारियों के अलावा, विभिन्न संचार शोध परियोजनाओं में लिए गए व्यवसायी/सलाहकार।

- संस्थान के संकाय-सदस्य, सहायक कर्मचारी और प्रशासनिक कर्मचारी, जो संस्थान की गतिविधियों को पूरा करने के लिए विभिन्न सौंपे गए कार्य कर रहे हैं।
- विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशन।

जिम्मेदार केन्द्र

- भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली
- भारतीय जन संचार संस्थान, ढेंकानाल
- भारतीय जन संचार संस्थान, अमरावती
- भारतीय जन संचार संस्थान, आईजॉल
- भारतीय जन संचार संस्थान, जम्मू
- भारतीय जन संचार संस्थान, कोट्टायम

सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशक अपेक्षाएं

- प्रवेश परीक्षा के लिए स्नातकोत्तर पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तथा आवेदन पत्र जमा कराने के लिए प्रवेश सूचना पढ़ें।
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश/आवेदन पत्र की बिक्री के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड करें ।
- विधिवत् भरे गए आवेदन पत्र अपेक्षित शुल्क सहित जमा करायें।
- प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची में से अपने रोल नम्बर और केन्द्र के नाम की जाँच कर लें।
- चुने उम्मीदवार की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार का आयोजन।
- साक्षात्कार के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।
- जन्म तिथि और शैक्षिक योग्यता इत्यादि के मूल प्रमाणपत्र जमा कराना।
- परिणाम की यथासमय घोषणा
- शैक्षिक सत्र का प्रारम्भ/कक्षाओं का आयोजन।
- पाठ्यक्रम का समापन/सत्र की परीक्षाओं का आयोजन समय पर होना।
- अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद दीक्षान्त समारोह का समय पर आयोजन।

चार्टर की अगली समीक्षा का महीना और वर्ष

“अगस्त के महीने में एक बार”

<u>भारतीय जन संचार संस्थान</u>

भारतीय जन संचार संस्थान (आई आई एम सी) को जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसने सदैव अपने सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों में बिना किसी के लिए पक्षपात के पारदर्शी रूप में अपने काम करने के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित रहने की भावना भरने का प्रयास किया है जिसके लिए विशेष तौर पर नागरिक घोषणा पत्र बनाया जाता है और उसका पालन किया जाता है।

2 संस्थान का नागरिक घोषणापत्र विद्यार्थियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, संकाय सदस्यों और अन्य कोई व्यक्ति जिसका संस्थान के कामकाज/गतिविधियों से संबंध हो, के साथ संस्थान की सेवाओं की वचनबद्धता है।

3. पणधारियों की उम्मीदों तथा ग्राहकों को पूरे संतोषजनक रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रखकर भारतीय जन संचार संस्थान के दर्शन और लक्ष्य को तैयार किया गया है।

4. इस दिशा में एक शिकायत निवारण रचनातन्त्र तैयार किया गया है जिसमें एक जन शिकायत निवारण अधिकारी यानि कुलसचिव, भारतीय जन संचार संस्थान को नामित किया गया है जिसका नाम और संपर्क ब्यौरा हमारी वेबसाईट पर दिया गया है। शिकायतकर्ता को एक महीने में अपनी शिकायत पर प्रतिक्रिया मिल जाने तथा ३ महीने के भीतर उसको दूर किये जाने की संभावना है।

5. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित सूचना और पदों पर भर्ती की सूचना तथा टेंडर दस्तावेज संस्थान की वेबसाईट पर डाल दिये जाते हैं। उपयोक्ता प्रवेश हेतु आवेदन तथा भर्ती हेतु पदों तथा टेंडर दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र, साक्षात्कार के लिए पत्र तथा प्रवेश परीक्षा और सत्रीय परीक्षा के परिणाम भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जाते हैं।

6. एक अनुवीक्षण समिति, जिसमें महानिदेशक, विशेष कार्य अधिकारी, उप कुलसचिव, परामर्शदाता अभियांत्रिकी, परामर्शदाता (वित्त) तथा तकनीकी सलाहकार शामिल होते हैं, परियोजना का आवधिक अनुवीक्षण करती है।

7. चालू योजना की आवधिक रिपोर्टें सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सी वी सी (सी टी ई) को भेजी जाती हैं।

8. संस्थान के भंडार के लिए अधिग्रहण और निमार्ण कार्यों को करने में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जी एफ आर में वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

9. भारतीय जन संचार संस्थान की वेबसाईट को गतिशील बनाने और उसके माध्यम से आनलाइन भुगतान का मार्ग खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि आनलाइन भुगतान का विकल्प प्राप्त हो सके। जब यह हो जाएगा तो प्रवेश/भर्ती हेतु आवेदन जमा कराने सहित शुल्क भुगतान और टेंडर दस्तावेजों को वेबसाईट के माध्यम से जमा कराया जा सकेगा। इसके लिए संस्थान ने एन आई सी से पहले ही अनुबन्ध किया हुआ है।

10. भारतीय जन संचार संस्थान में सारे संवेदनशील कार्यों को अलग-अलग व्यक्तियों को आबटिंत करने के प्रयास किये गए हैं ताकि इन संवेदनशील कार्यों को करने वाले व्यक्ति का एकाधिकार न हो जाए।

11. विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियाँ निर्धारित हैं और वहाँ उनके विवेकाधिकार की संभावना न के बराबर है। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है शक्ति का विवेकपूर्ण, पारदर्शी और तार्किक आधार पर उपयोग किया जाता है। ऐसी शक्ति की भी उच्च प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा की जाती है। संस्थान में कार्यकारी परिषद एवं आम सभा भी है जिसमें प्राधिकारियों द्वारा लिये गए प्रमुख निर्णयों का अनुसमर्थन किया जाता है और नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं।

12. संस्थान में गतिविधियों का संचालन स्वच्छ और पारदर्शी रूप में हो रहा है यह देखने के लिए आवधिक और आकस्मिक जाँच की जाती है।

लोगों के लिए आवश्यक प्रत्येक सेवा और सूचना का विश्लेषण करने तथा विवेकपूर्ण एवं सरल पद्धति से नागरिकों को उपयोगी सूचना समय पर प्रदान करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

13. संस्थान ने अपनी सेवाओं के लिए सभी संबंधित नागरिकों के विचारों को शामिल करने के लिए भी उपाय किए हैं और फीडबैक के आधार पर वेबसाईट को अद्यतन किया जा रहा है तथा नये रूप में में बनाया जा रहा है।

14. भारतीय जन संचार संस्थान के नागरिक घोषणापत्र में वर्ष के अगस्त महीने में एक बार संशोधन किये जाते हैं।

15. भारतीय जन संचार संस्थान के महानिदेशक को संस्थान का पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जन कार्यों में कुशलता और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके।